Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

701671

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 13 May 2026 at 09:16
To: PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in>
Cc: ldartionline <ldartionline@gmail.com>

BEFORE THE STATE INFORMATION COMMISSION, UTTAR PRADESH

Hearing Room No: S-5

Appeal Number: S-05/A/0518/2024 **Registration Number:** A-20240701671

In the matter of Yogi M.P. Singh vs. Public Information Officer (PIO), Lucknow Development Authority

---

Subject: Written Representation regarding non-compliance with the Commission's Order dated 24/02/2026.

Honourable State Information Commissioner,

The appellant most respectfully states as follows:

1. That the Honourable Commission, vide its order dated **24/02/2026**, took note that the PIO had failed to provide the information sought in the original application filed under **Section 6(1)** of the RTI Act.

2. That in the said order, the Commission issued a **Show Cause Notice** to the PIO under **Section 20** of the RTI Act for failing to provide information within the specified time.

3. That the Commission further directed the **Vice Chairman, Lucknow Development Authority**, to ensure that the desired information was provided to the appellant before the next hearing.

4. That as of today, **13/05/2026**, the PIO has **deliberately and wilfully disobeyed** the Commission's directions. No information has been provided to the appellant

to date, nor has the appellant received any communication from the PIO's office.

5. That this persistent refusal to comply with the directions of both the First Appellate Authority and this honourable Commission constitutes a grave obstruction to the right to information.

Prayer: It is, therefore, prayed that this Hon'able Commission may be pleased to

- **Impose the maximum penalty of ₹25,000** on the PIO under **Section 20(1)** of the RTI Act for persistent negligence.

- **Recommend disciplinary action** against the concerned officer under **Section 20(2)**.

- **Direct the Vice Chairman, LDA**, to personally ensure the immediate release of the information.

- **Grant compensation** to the appellant for the mental harassment and delay caused by the respondent.

Date: 13/05/2026 **Place:** Lucknow

Respectfully Submitted,

Yogi M.P. Singh (Appellant) Mobile: 7379105911 Email: yogimpsingh@gmail.com

On Thu, 9 Apr 2026 at 15:28, PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in> wrote:

Order of respected commission.pdf
349K

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7 / 7 / ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ

नोटिस संख्या :202604S05N200406 नोटिस प्रारूप - 2 दिनांक : 08/04/2026

अपील संख्या :S05/A/0518/2024 पंजीकृत संख्या : A-20240701671

अपीलकर्ता : योगी एमपी सिंह बनाम **विपक्षी** : जन सूचना अधिकारी

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि : 13/05/2026

सेवा मे,

(1) योगी एमपी सिंह
अपीलकर्ता
योगी एमपी सिंह
पिता /पति का नाम : राजेंद्र प्रताप सिंह
पता-सुरेकापुरम कॉलोनी जवलपुर रोड मिर्जापुर सिटी
जिला - मिर्जापुर
पिनकोड -231001
मोवाइल नंवर-: 7379105911
ई-मेल- yogimpsingh@gmail.com
इ.यू.संख्या :EUIN

विपक्षी : (1)जन सूचना अधिकारी
: पता : Public Information Officer Office - लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ,पिन कोड : 226012
मोबाइल नंबर-: 9918001893
ई-मेल- raz.9125@gmail.com
इ.यू.संख्या :EU866001635IN

चूँकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत द्वितीय अपील दिनांक 22/07/2024 को प्रस्तुत की गई है थी, जिस पर अग्रेतर सुनवाई दिनांक 13/05/2026 को की जाएगी।

अतएव उपर्युक्त अपील में दिनॉक 24/02/2026 की सुनवाई में आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अपीलकर्ता सम्वन्धित जन सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी सुनवाई दिनॉक 13/05/2026 हेतु निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अपना लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts5.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल- https://upsic.up.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 के फॉरमेट में मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-5 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृते पीठासीन अधिकारी
Rakesh Kumar Pushkar#541B2061BC9C8F6783DE2590BE595FF1
सु. एस-5
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7ए, आर.टी.आई. भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

(अपील संख्याःएस-05/ए/0518/2024)

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एम पी सिंह	जनसूचनाधिकारी/कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
समक्ष : श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।	

धारा	मांगी गयी सूचना
6(1)	पंजीकरण संख्या GOVUP/E/2024/0006965 के लिए शिकायत की स्थितिः लखनऊ विकास प्राधिकरण के उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने आवेदक की उपरोक्त शिकायत के संबंध में पत्र संख्या-220 दिनांक 17 फरवरी 2024 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, मामले से संबंधित पक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से मामले का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। लखनऊ के जन सूचना अधिकारी विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी बिंदुवार प्रदान करनी होगी: 1- शिकायत, पंजीकरण संख्या GOVUP/E/2024/0006965 के संबंध में, आवेदक ने भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही समिति को 24 पृष्ठों का पीडीएफ दस्तावेज भेजा था। समिति को 24 पृष्ठों का दस्तावेज न देने का कारण बताएं, जैसा कि आपकी मनमानी और असंगत रिपोर्ट से स्पष्ट है। 2- न तो आप समिति के सदस्यों का विवरण दे रहे हैं और न ही समिति द्वारा पक्षों के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों का। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उन कर्मचारियों के नाम और पदनाम प्रदान करें जो इस मामले में समिति की ओर से पक्षों और शिकायतकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करेंगे। 3- दिनेश प्रताप सिंह ने 9 दिसंबर 2023 को लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड योजना, सेक्टर एच, लखनऊ, पिन कोड 226012 के प्रभारी अधिकारी को संबोधित एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। यह सामान 11/12/2023 को शाम 7:07:35 बजे मिर्जापुर आरएमएस पीओएस काउंटर से बुक किया गया था और 16/12/2023 को दोपहर 1:59:17 बजे एलडीए कॉलोनी एसओ में डिलीवर किया गया था, जो स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग से स्पष्ट है। आवेदन के साथ संलग्न पीडीएफ दस्तावेज़ के पृष्ठ 1, 2, 3 और 4 देखें। दिनेश प्रताप सिंह के अभ्यावेदन पर लखनऊ विकास

विशाल

Scanned with OKEN Scanner

...धिकरण के संबंधित अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

4- पीआईओ आवेदन के साथ संलग्न पीडीएफ दस्तावेज़ के पृष्ठ 5 और 6 का अवलोकन कर सकते हैं, जो दिनेश प्रताप सिंह का 28 जनवरी 2023 का अभ्यावेदन है। दिनेश प्रताप सिंह के अभ्यावेदन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

5- पीआईओ कृपया दिनेश प्रताप सिंह के 11 सितंबर 2022 के आवेदन से संबंधित संलग्न पीडीएफ दस्तावेज़ के पृष्ठ 7 और 8 का अवलोकन करें। दिनेश प्रताप सिंह के आवेदन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

6- पीआईओ कृपया दिनेश प्रताप सिंह के 13 दिसंबर 2022 के आवेदन से संबंधित संलग्न पीडीएफ दस्तावेज़ के पृष्ठ 9 और 10 का अवलोकन करें। दिनेश प्रताप सिंह के आवेदन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के मूल आवेदन धारा-6(1) के क्रम में वांछित सूचनाएं उपलब्ध नही करायी गयी हैं।

कारण बताओ नोटिस

सुनवाई कक्ष संख्या एस–5 में विचारार्थ अपील/शिकायत प्रकरण संख्या **एस–5/ए/0518/2024** में सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आपने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता श्री **योगी एमपी सिंह** को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी अथवा असत्य, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है अथवा निवेदित सूचना की विषय–वस्तु को नष्ट किया है अथवा सूचना देने में किसी भी ढंग से बाधा डाली है पाया गया है और इस तरह का मामला सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 में प्राविधानित दण्ड दिये जाने हेतु पाया गया है।

दण्ड जुर्माना अधिरोपित किये जाने से पूर्व आपको सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर दिये जाने हेतु उचित पाता हूँ। अतः इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप **दिनांक 13.05.2026** को सुनवाई कक्ष संख्या एस–5 में उपरोक्त प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध धारा–20 में प्राविधानित जुर्माना अधिरोपित कर दिया जायेगा।

कार्यालय को आदेशित कया जाता है कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति सलंग्न करते हुए **उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** को इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि वह अपने स्तर से **प्रतिवादी जनसूचनाधिकारी/कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ**

विशाल

Scanned with OKEN Scanner

को निर्देशित करें कि वह शिकायतकर्ता को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित जन सूचनाधिकारी को लिखे गये पत्र की एक प्रति नियत तिथि पर स्वयं अथवा किसी समक्ष अधिकारी के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांक 13.05.2026 को पेश हो।

24.02.2026
पीठासीन अधिकारी
सुनवाई कक्ष संख्या एस–5
उ0प्र0 सूचना आयोग

यह आदेश
दि0 12/3/26
को अपलोड किया गया
आशु लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म विवरण

सूचनाअधिकारी का विवरण :-	
लोक प्राधिकारी	लखनऊ विकास प्राधिकरण
आरटीआई आवेदक का व्यक्तिगत विवरण :-	
पंजीकरण संख्या	LKDPA/R/2024/60105
फाइलिंग की तारीख	18/02/2024
नाम	Yogi M P Singh
लिंग	पुरूष
पता	Mohalla SurekapuramJabalpur RoadSangmohal post office
ज़िला	Mirzapur
पिन कोड	231001
राज्य	Uttar Pradesh
शैक्षिक स्थिति	शिक्षित(स्नातक तथा अधिक)
दूरभाष संख्या	विवरण प्रदान नहीं किया गया
मोबाईल नम्बर	+91-7379105911
ईमेल आईडी	yogimpsingh[at]gmail[dot]com
नागरिकता	भारतीय
क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है ?	नहीं
बीपीएल कार्ड नंबर (बीपीएल का सबूत एक अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया जा सकता है)	विवरण प्रदान नहीं किया गया
जारी करने का वर्ष	
जारी करने वाला प्राधिकरण	विवरण प्रदान नहीं किया गया

RTI आवेदन का विवरण u/s 6(1) :-

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी का विवरण मांगा	Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2024/0006965 Deputy secretary Atul Krishna Singh of Lucknow Development Authority submitted a report letter number-220, dated 17 February 2024 in the aforementioned grievance of the applicant. According to the report, parties concerned in the matter are not submitting the documents and not representing the matter in person before the committee. Public information officer in Lucknow Development Authority must provide the following information point wise as follows. 1- In Grievance, registration number : GOVUP/E/2024/0006965, The applicant sent a 24 pages PDF document for the committee looking into the matter of corruption. Please provide the reason for not providing a 24 pages document to the committee as quite obvious from your arbitrary and inconsistent report. 2- Neither you are providing the details of the members of committee nor persons authorised by the committee to entertain the representation of the parties. Please provide the name and designation of the staff of Lucknow Development Authority who will entertain the representations of the parties and complainants on behalf of the committee in the matter. 3- Dinesh Pratap Singh submitted a representation addressed to the in charge officer of the Lucknow Development Authority, Kanpur Road scheme, sector H, Lucknow, pin code 226012 on 09 December2023. Which was booked from Mirzapur RMS POS Counter on 11/12/2023 at time 19:07:35 and delivered at LDA Colony SO on 16/12/2023 at time 13:59:17 quite obvious from the speed post tracking of the item. Vide page 1,2,3 and 4 Of the attached PDF document to the application. Please provide the action taken details by the concerned officer of the Lucknow Development Authority on the representation of Dinesh Pratap Singh. 4- PIO may take the perusal of page 5 and 6 of the attached pdf document to the application which is the representation of Dinesh Pratap Singh dated 28th January 2023. Please provide the action taken details by the concerned staff of the Lucknow Development Authority on the representation of Dinesh Pratap Singh. 5- PIO may take the perusal of page 7 and 8 of the attached pdf document to the application which is the representation of Dinesh Pratap Singh dated 11th September 2022. Please provide the action taken details by the concerned staff of the Lucknow Development Authority on the representation of Dinesh Pratap Singh. 6-PIO may take the perusal of page 9 and 10 of the attached pdf document to the application which is the representation of Dinesh Pratap Singh dated 13th December 2022. Please provide the action taken details by the concerned staff of the Lucknow Development Authority on the representation of Dinesh Pratap Singh. Public information officer in the office of Lucknow Development Authority must provide the information sought under 6 points by the information seeker within stipulated 30 days as prescribed under subsection 1 of section 7 of RTI Act

Scanned with OKEN Scanner